<u>आवंदिका</u>

अनावेदक

<u>न्यायालयःश्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> जिला–बालाघाट, (म.प्र.)

<u>वि.आप.प्रक.कमांक—28 / 2015</u> <u>संस्थित दिनांक—13.11.2014</u> फाईलिंग नम्बर—234503011912014

श्रीमती दुलेसरबाई पित सरवन मेराबी, उम्र—45 वर्ष, जाित गोंड, निवासी ग्राम अरण्डी, हाल मुकाम कुकर्रा, थाना गढ़ी, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — —

// <u>विरुद्ध</u> //

सरवन मेरावी पिता झाडू, उम्र—48 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—ग्राम अरण्डी, थाना गढ़ी, तह. बैहर, जिला बालाघाट हाल मुकाम—वन परिक्षेत्र कार्यालय किसली जिला मण्डला (म.प्र.)

// <u>आदेश</u> // (आज दिनांक—13/05/2016 को पारित)

- 1— इस आदेश द्वारा आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा—125 दण्ड प्रक्रिया संहिता वास्ते भरण—पोषण राशि दिलाये जाने बाबद् का निराकरण किया जा रहा है।
- 2— प्रकरण में यह महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य है कि आवेदिका, अनावेदक की वैध विवाहिता पत्नी है।
- 3— आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में यह है कि आवेदिका का अनावेदक से 25 वर्ष पूर्व ग्राम कुकर्रा में जाति रीति—रिवाज अनुसार विवाह हुआ था। विवाह के 8—9 वर्ष तक अनावेदक ने आवेदिका को अच्छे से रखा एवं उसके बाद झगड़ा व मारपीट करने लगा। आवेदिका एवं अनावेदक की कुल तीन संताने हुई, जो पुत्र पवन उम्र—22 वर्ष, पुत्री रानू उम्र—20 वर्ष एवं महेश्वरी उम्र—18 वर्ष थी। अनावेदक ने अपने तीनों पुत्र—पुत्रियों का विवाह करने के बाद आवेदिका के साथ मारपीट करना प्रारंभ कर दिया और अपने साथ एक दूसरी महिला को रखकर उसके साथ निवास करने लगा। आवेदिका अपने मायके ग्राम अरण्डी आ गई तो अनावेदक समय—समय पर

आवेदिका के भरण पोषण की व्यवस्था करते रहा, परंतु माह अप्रैल 2014 से वर्तमान समय तक अनावेदक, आवेदिका को भरण पोषण राशि नहीं दे रहा है। अनावेदक वन परिक्षेत्र सहायक के पद पर पदस्थ है और उसे 25,000/—रूपये वेतन प्राप्त होता है। इसके अतिरक्त अनावेदक के पास 5 एकड़ कृषि भूमि है। इस प्रकार अनावेदक को कृषि भूमि से कुल वार्षिक आय लगभग 1,50,000/—रूपये की आय होती है। ऐसी स्थिति में आवेदिका को भरण—पोषण हेत् 10 हजार रूपये दिलाया जावे।

4— आवेदिका के आवेदन का विरोध कर अपने जवाब में अनावेदक ने यह कहा है कि आवेदिका तथा अनावेदक गोंड जाति के सदस्य हैं। अनावेदक ने अपनी तीनों संतानों का विवाह कर दिया है। अनावेदक ने आवेदिका को कभी प्रताड़ित नहीं किया है। आवेदिका स्वयं लगभग 9 माह पूर्व अपने मायके ग्राम कुकर्रा चले गई है। अनावेदक स्वयं आवेदिका को अपने घर साथ लाने के लिए ग्राम कुकर्रा गया था, परंतु आवेदिका साथ नहीं आई। गोंड जनजाति में एक दो पत्नी को रखने का रिवाज होता है। अनावेदक को दूसरी पत्नी से दो संताने हैं। अतः उनके भरण—पोषण में भी अनावेदक को अपने वेतन में से राशि का व्यय करना होता है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जावे।

- 5— <u>प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि</u> :—
 - 1. क्या आवेदिका युक्तियुक्त कारणों से अनावेदक से पृथक रह रही है ?
 - 2. क्या आवेदिका स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ है, इसलिए उसे भरण-पोषण की राशि दिलाया जाना चाहिए ?

विचारणीय बिन्दु कं.-1 का सकारण निष्कर्ष :-

6— आवेदिका दुलेसरबाई (आ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में यह कहा है कि अनावेदक से उसका 25 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था और उसकी कुल तीन संताने हैं। अनावेदक ने उसके साथ मारपीट की और अपने साथ दूसरी पत्नी रख लिया इसलिए उसे वर्तमान में अपने मायके ग्राम कुकर्रा में रहना पड़ रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अनावेदक ने उसके तीनों बच्चों का विवाह कर दिया है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि अनावेदक उसे रखने के लिए तैयार है, परंतु यह भी कहा है कि अनावेदक ने दूसरी शादी कर ली है। निश्चय ही द्वितीय विवाह अनावेदक द्वारा किया जाना आवेदिका के लिए पृथक से विवाह करने से युक्तियुक्त

कारण माना जावेगा, किन्तु अनावेदक ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि उसने दूसरा विवाह किया है और दूसरे विवाह से उसे दो संताने हुई है। अतएव विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 का निष्कर्ष प्रमाणित में किया जाता है कि आवेदिका युक्तियुक्त कारण से अनावेदक से पृथक से निवास कर रही है।

विचारणीय बिन्द क .- 2 का सकारण निष्कर्ष -

आवेदिका ने अपने आवेदन पत्र में यह कहा है कि 25 वर्ष पूर्व उसका विवाह हुआ था और उसके तीन संताने हैं। वर्तमान में वह ग्राम अरण्डी अपने मायके में रहती है। आवेदिका स्वयं का भरण-पोषण करने में सक्षम है। यह बात अनावेदक ने जवाब में भी प्रकट नहीं की है। अनावेदक शासकीय विभाग में कार्यरत् है एवं उसे नियमित वेतन मिलता है। यह बात अभिलेख में प्रस्तुत दस्तावेज से प्रकट हो रही है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए आवेदिका को भरण-पोषण के लिए 3000 / -रूपये प्रति माह की राशि दिलाया जाना उचित होगा।

उपरोक्त विवेचना पश्चात् आवेदिका का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदिका अनावेदक की प्रथम पत्नी है, इसलिए अनावेदक उसके भरण-पोषण के लिए दायित्वाधीन है। आवेदिका स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ है यह बात भी अभिलेख पर प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में अनावेदक आवेदिका को प्रतिमाह 3000 / -रूपये की राशि भरण-पोषण स्वरूप प्रदान करें। यह राशि अनावेदक आवेदिका को प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख के बीच में प्रदान करेगा।

आदेश ख़्ले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षारित एवं दिनांकित किया गया। ALITATION STREETS

दिनां क—13.05.2016

ैमेरे निर्देश पर टंकित किया।

सही / -

(श्रीष कैलाश शुक्ल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी , बैहर, बालाघाट म०प्र०